न्यायालय : संगीता रानी, अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

उपस्थित : संगीता रानी,
अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

बंटवारा वाद संख्या–23 / 2017

Reg. No. 4/17

D.O.J- 17.03.2026

1. भोला यादव, पे0 स्व0 मुखदेव यादव,
साकिन–जरिसो, थाना–बहेड़ा, जिला–दरभंगा।..**वादी।**

बनाम्

1. सोना देवी, पति–स्व0 शिवजी यादव,
2. गुलाब यादव,
3. श्याम यादव,
4. रामबाबु यादव,
5. राम सकल यादव,
6. विजय यादव,
7. चिरंजीवी यादव, सभी पे0– शिवजी यादव
8. रेखा देवी, पिता–स्व0 शिवजी यादव
साकिन–जरिसो, थाना–बहेड़ा, जिला–दरभंगा।..............................**प्रतिवादी प्रथम पक्ष।**
9. तेज नारायण यादव, पे0 मुखदेव यादव
साकिन–जरिसो, थाना–बहेड़ा, जिला–दरभंगा।..............................**प्रतिवादी द्वितीय पक्ष।**
10. कारो देवी, पिता–स्व0 मुखदेव यादव,
साकिन–जरिसो, थाना–बहेड़ा, जिला–दरभंगा।..............................**प्रतिवादी तृतीय पक्ष।**
11. होरिल यादव, पे0–स्व0 सुखदेव यादव,
साकिन–जरिसो, थाना–बहेड़ा, जिला–दरभंगा।..............................**प्रतिवादी चतुर्थ पक्ष।**
12. सुबाधी देवी, पति जगदीश यादव,
साकिन–अम्मापट्टी, थाना–बहादुरपुर, जिला–दरभं....................**प्रतिवादी पंचम पक्ष।**
13. रामानन्द यादव,
14. लाल बाबु यादव,
15. हुकुम यादव,
16. रामकुमार यादव, सभी पे0 स्व0 हरि लाल यादव
17. मिथिलेश देवी,
18. इंगलिश देवी,
19. रमावती देवी, तीनों पिता स्व0 हरिलाल यादव
साकिन–जरिसो, थाना–बहेड़ा, जिला–दरभंगा।..............................**प्रतिवादी षष्टम पक्ष।**
20. शम्भु झा, पे0 स्व0 यदुनंदन झा,
साकिन–मुस्तफाबाद उर्फ लबानी, थाना–बहेड़ा, दरभंगा
21. राखी कुमारी झा, पति हरिशंकर झा
साकिन–लबानी, थाना–बहेड़ा, जिला–दरभंगा..............................**प्रतिवादी सप्तम पक्ष।**

वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री मनोज कुमार झा।

प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री अमित कुमार एवं अन्य।

निर्णय की तिथि : 17.03.2026

न्यायालय : संगीता रानी, अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

उपस्थित : संगीता रानी,
अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

बंटवारा वाद संख्या–23/2017
Reg. No. 4/17 D.O.J- 17.03.2026

नि र्ण य

1. वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध वादपत्र के अंत में दिये गये अनुसूची–1 में उल्लेखित भूमि पर 1/2 अंश प्राप्त करने तथा दिनांक–05.12.2007 एवं दिनांक–30.03.2017 को निष्पादित बिक्रय वसीका जिसका विवरण वादपत्र के अनुसूची–2 एवं 3 में वर्णित है उसे अवैध और अमान्य घोषित करने तथा विवादित भूखण्ड पर निषेधाज्ञा आदेश पारित करने हेतु दायर किया है।

2. वादी ने इस वाद में कुल 21 प्रतिवादी को पक्षकार बनाये है। वादपत्र के अंत में एक वंशावली दिया गया है जिसे वादी एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष, चतुर्थ पक्ष, पंचम पक्ष एवं छठे पक्ष के बीच संबंध को दर्शाता है। इस वंशावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी और प्रतिवादी के पूर्वज फतुरी यादव थे। फतुरी यादव को 3 पुत्र कोका यादव, सुखदेव यादव एवं मुखदेव यादव हुये। इन तीनों पुत्रों के बीच फतुरी यादव की समस्त संपत्ति का बंटवारा मौखिक रूप से 60 साल पहले ही हो गई थी। सबसे बड़ा भाई कोका यादव अपने दो भाई सुखदेव यादव और मुखदेव यादव से अलग दूसरे जगह चले गये। कोका यादव को इस भूमि से अलग हिस्सा मिला था। इसलिए उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। फतुरी यादव के पुत्र सुखदेव यादव को 2 पुत्र हरिलाल यादव और होरिल यादव तथा एक पुत्री सुबाधी देवी हुये। होरिल यादव इस वाद में प्रतिवादी चतुर्थ पक्ष के रूप में प्रतिवादी संख्या–11 बनाये गये है तथा सुबाधी को पंचम पक्ष प्रतिवादी संख्या–12 बनाया गया है। सुखदेव यादव के दूसरे पुत्र हरिलाल यादव के वारिसान इस वाद में षष्टम पक्ष बनाये गये हैं। हरिलाल यादव के 4 पुत्र रामानन्द यादव, लालबाबु यादव, हुकुम यादव एवं रामपुकार यादव तथा 3 पुत्री मिथिलेश देवी, इंगलिश देवी एवं रामावती देवी को प्रतिवादी संख्या–13 से 19 के रूप में बनाया गया है। साथ ही फतुरी यादव का तीसरा पुत्र मुखदेव यादव को भी एक पुत्र रामकुमार यादव हुये, रामकुमार यादव की दो शादी हुई पहली पत्नि से भोला यादव एवं कारो देवी तथा दूसरी पत्नि से शिवजी यादव एवं तेजनारायण यादव हुये। तेजनारायण यादव प्रतिवादी द्वितीय पक्ष अर्थात् प्रतिवादी संख्या–9 तथा कारो देवी प्रतिवादी तृतीय पक्ष अर्थात् प्रतिवादी संख्या–10 बनाये गये है। भोला यादव इस वाद में वादी हैं एवं शिवजी यादव की मृत्यु हो गई इसिलिये उसके वारिसन पत्नी सोना देवी और 6 पुत्र गुलाब यादव, श्याम यादव, रामबाबु यादव, रामसकल यादव, विजय यादव एवं चिरंजिवी यादव एवं पुत्री रेखा को प्रतिवादी संख्या–1

न्यायालय : संगीता रानी, अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

उपस्थित : संगीता रानी,
अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

बंटवारा वाद संख्या–23/2017
Reg. No. 4/17 D.O.J- 17.03.2026

से 8 बनाये गये हैं। शिवजी यादव एवं उसके भाई तेजनारायण यादव ने शम्भू झा प्रतिवादी संख्या–20 के पक्ष में दिनांक–05.12.2007 को निबंधित बिक्रय वसीका निष्पादित किया, बिक्रेता शिवजी यादव प्रतिवादी संख्या–1 के पति और प्रतिवादी संख्या–2 से 8 के पिता हैं। दूसरा केवाला प्रतिवादी संख्या–1 सोना देवी ने निबंधित बिक्रय वसीका दिनांक–30.03.2017 के जरिये विवादित भूखण्ड प्रतिवादी संख्या–21 राखी कुमारी झा को बिक्रय किया है। वादी और प्रतिवादी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष, चतुर्थ पक्ष, पंचम पक्ष एवं छठा पक्ष इस वाद में पक्षकार हैं। मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत वादी कर्त्ता और कारोबारी के हैसियत से वाद लाये हैं।

विवाद की मूल विषय वस्तु वादपत्र के अनुसूची–1 वाला भूखण्ड है जो वादी और प्रतिवादी प्रथम पक्ष से छठे पक्षकारों को विरासत में प्राप्त हुई है जिसका बंटवारा किया जाना अतिआवश्यक है। वादपत्र के अनुसूची–1 में उल्लेखित भूखण्ड सुखदेव यादव और मुखदेव यादव को संयुक्त रूप में स्वत्व और अधिकार प्राप्त करने के पश्चात् इस भूखण्ड का उपयोग संयुक्त रूप से आवासीय मकान एवं कृषि कार्य होता चला आ रहा था। बाद में सुखदेव यादव और मुखदेव यादव के परिवार का विस्तार होने के बाद इसके भाई और वादी के बीच मौखिक रूप से आपस में बंटवारा कर लिये। जिसमें कृषि कार्य वाले भूमि और आवासीय भूमि भी शामिल थी। लेकिन यह बंटवारा वैद्य रूप से नहीं हुआ था। यह कि वादपत्र के अनुसूची–1 में उल्लेखित भूखण्ड नया सर्वे खतियान में सुखदेव यादव और उसके पुत्र हरिलाल यादव, होरिल यादव तथा मुखदेव यादव का नाम अंकित हो गया है। यह सभी सहभागीदार हैं। सभी भूखण्ड इजमाल है जिसपर सभी को बराबर अधिकार एवं स्वत्व प्राप्त है। सभी सम्पति का इजमाल जमाबंदी अभी तक चल रहा है। किसी भी सहभागीदार के पास कोई कागजात नहीं है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष से छठे पक्ष को वादी बार–बार बंटवारा हेतु कह रहे हैं किन्तु प्रतिवादी तृतीय पक्ष प्रतिवादी संख्या–10 को छोड़कर शेष सभी प्रतिवादी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, चतुर्थ पक्ष, पंचम पक्ष एवं षष्टम पक्ष बंटवारा करने से साफ इंकार कर दिये। वादी भोला यादव एवं उसकी बहन कारो देवी प्रतिवादी संख्या–10 एक ही मां की संतान है। कारो देवी स्नेह के कारण अपना हिस्सा अपने भाई भोला यादव को दे दिये। दूसरी मां के दो पुत्र शिवजी यादव एवं तेजनारायण यादव हुये जो बिना बंटवारा के ही वादी एवं कारो देवी के हिस्सा को बेच रहे हैं। इस तरह मुखदेव यादव के 4 वारिसानों भोला यादव, कारो देवी, शिवजी यादव, तेज नारायण यादव में प्रत्येक को 1/4 अंश प्राप्त होगा, चूंकि कारो देवी अपना अंश भोला यादव को देने की इच्छा जाहिर की है

इसलिये भोला यादव को 2 अंश अर्थात मुखेदव यादव के कुल सम्पत्ति में से 1/2 अंश भोला यादव को प्राप्त होगा, तथा भोला यादव का भाई शिवजी यादव को 1/4 अंश एवं तेज नारायण यादव को 1/4 हिस्सा प्राप्त होगा। इसीतरह सुखदेव यादव के वारिसान जो प्रतिवादी चतुर्थ पक्ष, पंचम पक्ष और छठे पक्ष हैं उन्हें भी फतुरी यादव की सम्पति में से आधा हिस्सा प्राप्त होगा। इसी तरह वादपत्र के अनुसूची–1 में उल्लेखित भूखण्ड में सुखदेव यादव को आधा अंश तथा उसे प्राप्त अंश में से 1/3 अंश प्रतिवादी चतुर्थ पक्ष, पंचम पक्ष, छठा पक्ष को प्राप्त होगा। प्रतिवादी चतुर्थ पक्ष, पंचम पक्ष, एवं षष्टम पक्ष सुखदेव यादव के तीनों पुत्रों को अलग–अलग फरिकैन बनाया गया है। विवाद का मूल कारण यह है कि दिनांक–05.12.2007 को प्रतिवादी संख्या–1 के पति और प्रतिवादी संख्या–2 से 8 के पिता शिवजी यादव ने एवं प्रतिवादी संख्या–9 तेज नारायण ने मिलकर प्रतिवादी संख्या–20 के पक्ष में एक बिक्रय वसीका निष्पादित किया। इसके बाद पुनः दिनांक–30.03.2017 को सोना देवी ने प्रतिवादी संख्या–21 के पक्ष में केवाला कर दिया। जिसका विवरण वादपत्र के अनुसूची–2 एवं 3 में दिया गया है। प्रतिवादी सोना देवी ने अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेच दिया, इसिलिये वादी को वाद लाने का वादकारण उत्पन्न हुआ। निबंधित बिक्रय वसीका के आधार पर प्रतिवादी संख्या–20, 21 विवादित भूखण्ड पर दावा करने लगे। वादी ने वाद का मूल्य पच्चीस लाख रूपया निर्धारित किया है जिसपर वादी आधा अंश पर दावा करते हैं, जिसपर कुल न्याय शूल्क 7000 रूपया अदा की गई है तथा निषेधाज्ञा मूल्य 1000 रूपया निर्धारित किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से दो भाग में लिखित कथन दाखिल किया गया है।

3. **पहला लिखित कथनः–** प्रतिवादी संख्या–1 से 9 जो संघर्षशील प्रतिवादी हैं उनकी ओर से दाखिल लिखित कथन का सारांश यह है कि वादी का वाद पोषणीय नहीं है, खारिज होने के योग्य है और न ही वादी को वाद लाने का वादकारण उत्पन्न हुआ था। वादी द्वारा दिया गया न्यायशुल्क पर्याप्त नहीं है वादी को आधे हिस्से पर कोई भी स्वत्व और अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी और प्रतिवादी के बीच विवादित भूखण्ड के संबंध में 40 वर्ष पूर्व ही बंटवारा हो चुका है। इस मुकदमे का मूल्य 21 लाख रूपया से अधिक है। वादी के वादपत्र के अनुसूची–3 में दिया गया कथन आंशिक रूप से स्वीकार है। क्योंकि फतुरी यादव ने 60 वर्ष पूर्व मौखिक रूप से अपने तीन पुत्रो सुखदेव यादव और मुखदेव यादव एवं कोका यादव के बीच 3 भागों में संपत्ति का बंटवारा कर दिया था। सुखदेव यादव और मुखदेव का व्यापार, खाना–पीना और कारोबार बिल्कुल अलग–अलग

था। इसके बाद मुखदेव यादव का पुत्र भोला यादव, शिवजी यादव, तेजनारायण यादव आपस में 40 वर्ष पूर्व मौखिक बंटवारा कर चुके थे। जिसके आधार पर प्रत्येक प्रतिवादी को 1/3 अंश प्राप्त हुआ था और वे अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा प्राप्त कर रहते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या–1 सोना देवी ने अपने स्वत्व और हकीयत पाते हुये दिनांक–30.03.2017 को अपने पति के श्राद्धकर्म में खर्च के लिए जमीन बिक्रय किया था। क्योंकि उस समय उनका पुत्र दिल्ली में जीवनयापन हेतु रह रहे थे। तेजनारायण यादव ने भी दिनांक–05.12.2007 को अपने हिस्से की सम्पत्ति को बिक्रय वसीका के जरिये जमीन बिक्रय किया तथा निष्पादन की तिथि से ही इसके खरीदार प्रतिवादी संख्या–20 को दखल–कब्जा दे दिया गया। जिस पर वे खरीदगी की तिथि से लगातार शांतिपूर्ण रहते चले आ रहे हैं। कंडिका–9 साबित करने का भार वादी पर है। यह कि वादपत्र में विवादित भूमि का पूर्ण विवरण नहीं है। पुराना खेसरा और नया खेसरा में भिन्नता है और न ही किसी भूखण्ड की चौहदी दिया गया है। वादी भोला यादव की उम्र करीब 62 वर्ष है जो फतुरी यादव का पांचवा शाखा हैं। इस तरह प्रतिवादी सुखदेव यादव और मुखदेव यादव के वारिसान 40 वर्ष पूर्व ही आपस में बंट चुके हैं, तथा अपने–अपने हिस्सा पर दाखिल–काबिज हैं एवं वादी और प्रतिवादी के पूर्वज के नाम से अलग–अलग नया सर्वे खतियान भी खुल गया है। इससे यह साबित होता है कि दोनों पक्षकारों के मध्य संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। दोनों पक्षकारों के पूर्वज के नाम से जमाबन्दी भी कायम थी। साथ ही फतुरी यादव की संपत्ति में से मुखदेव यादव को प्राप्त हिस्से में उनके तीन पुत्रों (वारिसानों) का विभाजन 1/3 अंश 40 वर्ष पूर्व हो चुका था। प्रतिवादी प्रथम पक्ष सोना देवी और तेज नारायण यादव ने बंटवारा के अनुसार अपना हिस्सा बहुत पहले ही सही तरीके से बेच दिया था। वादी का दावा गलत है एवं वादी ने पर्याप्त न्यायशुल्क नहीं दाखिल किया है, क्योंकि इस वाद का बाजार मूल्य 21 लाख से अधिक है।

दूसरा लिखित कथनः– दूसरा लिखित कथन प्रतिवादी संख्या–10 कारो देवी की ओर से दाखिल किया गया। लिखित कथन में वादी के कथनों का समर्थन करते हुये प्रतिवादी संख्या–10 का कहना है कि वादी को वाद लाने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है, वादी द्वारा किये गये सभी कथनों का वे समर्थन करते हैं। प्रतिवादी कारो देवी का कहना है कि उसके पिता ने दो शादी किये थे, पहली पत्नी से वादी एवं वे स्वयं हैं एवं दूसरी पत्नी के संतान प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष हैं। उन्होंने अपने हिस्से की समस्त

न्यायालय : संगीता रानी, अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

उपस्थित : संगीता रानी,
अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

बंटवारा वाद संख्या–23/2017
Reg. No. 4/17 D.O.J- 17.03.2026

जायदाद अपना सहोदर भाई भोला यादव को दे दिया है। प्रतिवादीगण जमीन का बंटवारा किये बगैर ही उनके एवं वादी के हिस्सा को बेच रहे हैं, जिसके लिये वादी ने यह बंटवारा वाद दायर किये है, क्योंकि सभी सम्पत्ति अभी भी इजमाल है।

4. वादी ने यह वाद दिनांक–08.05.2017 को दायर किया। दिनांक–26.05.2017 को वाद का प्रतिग्रहण किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु नजारत एवं डाक से सम्मन निर्गत किये गये। दिनांक–03.02.2018 को प्रतिवादी संख्या–10 कारो देवी एवं प्रतिवादी संख्य–21 उपस्थित हुये। अगली तिथि दिनांक–27.02.2018 को प्रतिवादी संख्या–10 और 21 को छोड़ कर सभी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया। दिनांक–20.04.2018 को प्रतिवादी संख्या–10 की ओर से लिखित कथन दाखिल किया गया। पुनः अगली तिथि दिनांक–01.05.2018 को प्रतिवादी संख्या–1 से 9 की ओर से आवेदन दाखिल कर दिनांक–27.02.2018 को हुये एकपक्षीय आदेश को वापस लेने हेतु निवेदन किया गया। जिसपर दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक–22.06.2018 को आदेश पारित किया गया। दिनांक–18.09.2018 को प्रतिवादी संख्या–1 से 9 की ओर से लिखित कथन दाखिल किया गया। दिनांक–28.05.2019 को वादी की ओर से आदेश–22 नियम–4 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी संख्या–12 सुबाधी देवी का नाम विलोपित करने हेतु प्रार्थना की गई। जिसपर दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 सोना देवी की भी मृत्यु हो गई। जिसका नाम दिनांक–23.05.2022 के विलोपित किया गया। वादी की ओर से दिनांक–14.01.2022 को एक आवेदन आदेश–11 नियम–12 के अंतर्गत दाखिल किया गया जिसे प्रचालित नहीं किये जाने के कारण दिनांक–01.10.2024 को खारिज कर दिया गया। दिनांक–28.11.2022 को वादी ने एक आवेदन आदेश–6 नियम–17 का दाखिल किया गया। जिसपर दिनांक–19.09.2023 को प्रतिवादी को प्रतिउत्तर से वंचित कर दिनांक–03.02.2026 को आदेश पारित किया गया। इसी बीच प्रतिवादी संख्या–2 गुलाब यादव की भी मृत्यु हो गई, उनका नाम दिनांक–03.01.2025 को विलोपित किया गया। अगली तिथि दिनांक–10.10.2025 को पुनः अनुपस्थित सभी प्रतिवादी के विरूद्ध तामिला सम्पुष्ट करते हुये एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। इससे पूर्व दिनांक–19.03.2024 को वादबिन्दु का गठन किया जा चुका था। साक्ष्य के स्तर पर वादी की ओर से कुल 3 साक्षियों के साक्ष्य कराये गये हैं, साथ ही कुछ कागजातों को प्रदर्श अंकित किये गये हैं। प्रतिवादीगण लिखित कथन दाखिल कर पैरवी करना छोड़ चुके हैं, इसलिये वादी की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी का

प्रतिपरीक्षण प्रतिवादी की ओर से नहीं किया गया है। इसतरह दिनांक–13.03.2026 को वादी का साक्ष्य बन्द कर वादी का बहस सुना गया।

5. वादी ने अपने वाद के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं।

मौखिक साक्ष्य :–

1. वादी साक्षी संख्या–1 भोला यादव
2. वादी साक्षी संख्या–2 ललित यादव
3. वादी साक्षी संख्या–3 दयाराम यादव

दस्तावेजी साक्ष्य : –

प्रदर्श–1– खाता संख्या–192 का रिविजनल सर्वे खतियान की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श–1/A– खाता संख्या–193 का रिविजनल सर्वे खतियान की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श–1/B– खाता संख्या–194 का रिविजनल सर्वे खतियान की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श–2– निबंधित बिक्रय वसीका 2562 दिनांक–30.03.2017 अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श–2/A–निबंधित बिक्रय वसीका 7855 दिनांक–05.12.2007 अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

Sangeeta Rani

6. प्रतिवादी ने अपने वाद के समर्थन में कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं।

7. इस वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिकथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद बिन्दु का गठन किया गया है :–

1. Is the suit as framed and filed maintainable ?
2. Has the plaintiff right and cause of action for the suit?
3. Is the suit barred by law of limitation, principles of estoppel, waiver and acquiescence?
4. Is the suit property valued and sufficient court fee paid?
5. Whether the suit land in schedule-1 of plaint is unobstructed heritage as well as joint co-parcenanery property amongst plaintiff and defendant 1^{st} party to 6^{th} party?
6. Whether the plaintiff is entitled to get ¼ share in suit land detailed in schedule-1 of the plaint?

न्यायालय : संगीता रानी, अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

उपस्थित : संगीता रानी,
अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

बंटवारा वाद संख्या–23/2017
Reg. No. 4/17 D.O.J- 17.03.2026

7. Whether the entries made in revisional survey with respect to land in suit is incorrect and not binding to plaintiff?
8. Are the plaintiffs bonafide raiyat of land in suit in payment of rent?
9. Whether the registered sale deed dated-05.12.2007 and 30.03.2017 is voidable, illegal and inoperative?
10. Is the plaintiff entitled to get any relief or reliefs?

वि नि श्च य

8. वाद बिन्दु संख्या–V & VI

सभी वादबिन्दु में से वाद बिन्दु संख्या–V&VI- सबसे महत्वपूर्ण वादबिन्दु है। इस वादबिन्दु के अंतर्गत न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना है कि वादपत्र के अनुसूची–1 में उल्लेखित भूखण्ड क्या वादी एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष से षष्टम पक्ष के पूर्वजों की संयुक्त संपत्ति है एवं वादी 1/4 अंश पाने का हकदार है?

इस संबंध में वादी द्वारा दिये गये अभिवचन से स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष से षष्टम पक्ष एक ही व्यक्ति फतूरी यादव के वारिसान हैं। फतूरी यादव के तीन पुत्र क्रमशः कोका यादव, सुखदेव यादव एवं मुखदेव यादव थे। फतूरी यादव के मृत्यु के पश्चात् उनके समस्त सम्पत्ति का मौखिक बंटवारा 60 वर्ष पूर्व तीन भागों में हो चुका था। कोकाई यादव को कहीं अन्य जगह हिस्सा प्राप्त हुआ, इसिलिये उन्हें इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। शेष दो भाई सुखेदव यादव एवं मुखदेव यादव के वारिसानों के बीच सम्पत्ति के बंटवारा को लेकर विवाद है। वादी एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष तथा तृतीय पक्ष, मुखदेव यादव के वारिसान है जबकि प्रतिवादी चतुर्थ पक्ष, पंचम पक्ष एवं षष्टम पक्ष सुखदेव यादव के वारिसान हैं। मुखदेव यादव का पुत्र राम कुमार यादव की दो शादी हुई थी। पहली पत्नी से भोला यादव एवं कारो देवी का जन्म हुआ, जो इस वाद में क्रमशः वादी एवं प्रतिवादी संख्या–10 बनाये गये हैं एवं दूसरी पत्नी से शिवजी यादव एवं तेज नारायण यादव हुये। चूंकि शिवजी यादव की मृत्यु हो गई थी इसीलिये उनके वारिसान को क्रमशः प्रतिवादी संख्या–1 से 8 तथा तेजनारायण यादव को प्रतिवादी संख्या–9 बनाये गये हैं। विवाद का मूल कारण यह है कि वादी कहते हैं कि वादपत्र के अनुसूची–1 में उल्लेखित भूखण्ड इजमाल है जिसका मौखिक बंटवारा पूर्व में तो हुआ था किन्तु प्रतिवादीगण अमल नहीं कर रहे हैं। प्रतिवादी प्रथम एवं द्वितीय पक्ष वादी के सम्पत्ति को भी बेच रहे हैं जबकि

संघर्षशील प्रतिवादी का कहना है कि मुखेदव यादव के वारिसान तीन पुत्रों के बीच 40 वर्ष पूर्व ही बंटवारा हो चुका था। सभी पक्ष अपने–अपने हिस्से पर दखल–कब्जा प्राप्त कर चुके हैं, इसिलिये शिवजी यादव एवं उसके भाई तेजनारायण यादव ने अपने हिस्से की सम्पत्ति को दिनांक–05.12.2007 को प्रतिवादी संख्या–20 के पक्ष में केवाला निष्पादित किया था।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में तीन मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, जिसमें वादी साक्षी संख्या–1 भोला यादव ने अपने शपथपत्र में वादपत्र का समर्थन करते हुये कहा है कि वादपत्र के अनुसूची–1 में उल्लेखित भूमि उनके दादा मुखदेव यादव एवं उनके भाई सुखेदव यादव की संयुक्त संपत्ति है जिसका मौखिक बंटवारा 40 वर्ष पूर्व हुआ था, किन्तु प्रतिवादीगण उसपर अमल नहीं करते हैं। उनके दादा के एकमात्र पुत्र रामकुमार यादव थे, जिनकी दो शादी हुई थी, पहली पत्नि से वादी एवं प्रतिवादी संख्या–10 कारो देवी का जन्म हुआ तथा दूसरी पत्नि से प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष का जन्म हुआ। मुखेदव यादव को बंटवारा से प्राप्त संपत्ति में उनके चार वारिसान कमशः वादी, प्रतिवादी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, एवं तृतीय पक्ष के बीच बंटवारा नहीं हुआ है सभी संपत्ति संयुक्त है एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष इजमाल संपत्ति को बेच रहे हैं। पहले उनके सौतेला भाई शिवजी यादव एवं जयनारायण यादव ने दिनांक–05.12.2007 को प्रतिवादी संख्या–20 के पक्ष में केवाला किया। वाद में शिवजी यादव के मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नि सोना देवी ने दिनांक–30.03.2017 को प्रतिवादी संख्या–21 के पक्ष में केवाला निष्पादित कर दिया। उनके पिता के समस्त संपत्ति को सिर्फ 1/3 अंश में विभाजित किया गया जबकि 1/4 अंश होना चाहिये। वादी की बहन कारो देवी के हिस्सा को प्रतिवादी पंचम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दाखिल काविज होकर बेच दिये हैं। इसी तरह साक्षी संख्या–2 ललित यादव वादी के पुत्र एवं साक्षी संख्या–3 स्वतंत्र साक्षी हैं। जिन्होंने शपथपत्र में वादपत्र का पूर्णतः समर्थन किया है। संघर्षशील प्रतिवादीगण लिखित कथन दाखिल कर अनुपस्थित हो गये हैं, इसिलिये वादी के किसी भी साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में तीन खतियान दाखिल किये है, जो कमशः प्रदर्श–1, 1/ए, 1/बी के रूप में अंकित है जो वादपत्र के अनुसूची–1 से संबंधित है। इन तीनों खतियान से स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष से षष्टम पक्ष आपस में फरीकैन है जिसका विधि अनुकूल बंटवारा नहीं हुआ है।

इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य (कन्टीन्युअस

खतियान) एवं मौखिक साक्ष्य तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष एवं तृतीय पक्ष द्वारा दाखिल लिखित कथन का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचती हूं कि वादपत्र के अनुसूची–1 में उल्लेखित भूखण्ड वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 से 19 की संयुक्त संपत्ति है। जैसाकि खतियान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि फतुरी यादव के तीन पुत्रों में से कोका यादव का अन्य जगह हिस्सा मिला, शेष दो भाई मुखेदव यादव एवं सुखदेव यादव को वादपत्र के अनुसूची–1 में उल्लेखित भूखण्ड प्राप्त हुआ। चूंकि सुखेदव यादव एवं मुखेदव यादव के बीच 60 वर्ष पूर्व ही मौखिक बंटवारा हो चुका था किन्तु मुखदेव यादव के वारिसानों के बीच आपसी बंटवारा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। जिसके कारण वादी को यह बंटवारा वाद दायर करना पड़ा। किन्तु वादी के इन कथनों का खण्डन संघर्षशील प्रतिवादी ने नहीं किया है, न ही वादी के किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया गया है। इसप्रकार वादपत्र के अनुसूची–1 वाले भूखण्ड वादी एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष से षष्टम पक्ष की संयुक्त संपत्ति है जिसका वैध तरीके से आपस में बंटवारा नहीं हुआ है तथा मुखदेव यादव का प्राप्त संपत्ति में से उनके विधिक वारिसान वादी भोला यादव, शिवजी यादव के वारिसान, तेजनारायण यादव एवं कारो देवी का समान रूप से 1/4 अंश सभी पक्षकार प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि संघर्षशील प्रतिवादी अर्थात प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी या मौखिक किसी तरह का साक्ष्य दाखिल नहीं किया है, जिससे जानकारी होती कि मुखेदव यादव की संपत्ति का बंटवारा उनके वारिसानों के बीच पूर्व में ही हो चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि मुखेदव यादव के संपत्ति का विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। वादपत्र के अनुसूची–1 वाली भूखण्ड सभी फरीकैन की संयुक्त सम्पत्ति है।

जहां तक वादी ने वादपत्र के अनुसूची–1 वाले भूखण्ड में 1/4 अंश प्राप्त करने की मांग किया है। वादी के अनुसार वे चार भाई–बहन हैं। चारों को एक समान अंश प्राप्त होना चाहिये। मुखदेव यादव के तीन पुत्र भोला यादव, शिवजी यादव, तेजनारायण यादव तथा एक पुत्री कोका देवी को मिलाकर मुखदेव यादव की समस्त सम्पत्ति में प्रत्येक को 1/4 अंश प्राप्त होगा, जबकि प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष सिर्फ तीन हिस्से में ही विभाजन की बात अपने लिखित कथन में कहते हैं। इस तरह जब वादपत्र के अनुसूची–1 वाली भूखण्ड इजमाल है एवं सभी फरीकैन का अंश बराबर है ऐसी स्थिति में मुखदेव यादव के चारों वारिसानों को उनके सम्पत्ति में से 1/4 अंश प्राप्त होगा। इस तहर वादबिन्दु संख्या–6 में विधिक बल पाते हुए वादी के पक्ष में निर्णित

किया जाता है।

इस तरह वाद **बिन्दु संख्या– V&VI** वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

9. वाद बिन्दु संख्या–VII

इस वादबिन्दु के अंतर्गत न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना है कि क्या नया सर्वे खतियान गलत बन गया है जिसमें मुखदेव यादव एवं सुखदेव यादव को बराबर–बराबर अंश प्राप्त नहीं है?

वादी के वादपत्र के अनुसूची–1 में सम्पूर्ण रकवा का वर्णन है जिसके वनिस्वत वादी ने तीन नया खतियान दाखिल किया है, जो तीन खाता नं–192, 193, 194 से संबंधित है। खाता नं–192 जिसे प्रदर्श–1 अंकित किया गया है उसमें कई खेसरा जैसे खेसरा नं–127, 155, 178, 232 में कुल रकवा 1 एकड़ 10 डिसमील 445 हेक्टेयर दर्ज है। वही प्रदर्श–1/ए कन्टीन्युअस खतियान है जो खाता नं–193 के कई खेसरा जिसका रकवा 2 एकड़ 4 डिसमील 825 हेक्टेयर में मुखदेव यादव को एक अंश एवं सुखदेव यादव के दो पुत्र हरिलाल यादव, होरिल यादव को एक अंश दिया गया है। इस तरह प्रदर्श–1/बी खाता नं–193 से संबंधित है जिसमें कई खेसरा की जमीन है। जिसके रैयत कॉलम में मुखदेव यादव को एक अंश तथा हरिलाल यादव एवं होरिल यादव पिता सुखदेव यादव को एक अंश दिया गया है। किन्तु प्रदर्श–1 कन्टीन्युअस खतियान है जो खाता नं–126, 155, 178, 232 में कुल रकवा 1 एकड़ 10 डिसमील 445 हेक्टेयर भूखण्ड वादी के दादा मुखेदव यादव के भाई सुखदेव यादव के नाम से दर्ज हो गया है। वादी के अनुसार खाता नं–192 में सुखदेव यादव के साथ–साथ मुखेदव यादव के नाम खतियान में दर्ज होना चाहिये।

इस प्रकार वादी के वादपत्र एवं लिखित कथन तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वादी के परदादा फतुरी यादव के दो पुत्र मुखदेव यादव एवं सुखेदव यादव के बीच संपत्ति का मौखिक बंटवारा विगत 60 वर्ष पूर्व ही हो चुका था, किन्तु सर्वे प्राधिकरण ने गलती से वादपत्र के अनुसूची–1 वाले भूखण्ड का तीन खतियान तैयार किया जिसमें खाता नं–193, 194 कमशः प्रदर्श–1/ए एवं 1/बी में मुखेदव यादव को एक अंश एवं सुखदेव यादव के दो पुत्र होरिल यादव तथा हरिलाल यादव को एक अंश दिया गया है। अर्थात प्रदर्श–1/ए एवं 1/बी वाले भूखण्ड में मुखेदव यादव एवं सुखदेव यादव को आधा–आधा अंश प्राप्त हुआ है जबकि प्रदर्श–1, खतियान के खाता नं–192 में चार

न्यायालय : संगीता रानी, अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

उपस्थित : संगीता रानी,
अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

बंटवारा वाद संख्या–23/2017
Reg. No. 4/17 D.O.J- 17.03.2026

खेसरा नं–126, 155, 178, 232 के कुल रकवा 1 एकड़ 10 डिसमील 445 हेक्टेयर भूखण्ड सिर्फ सुखदेव यादव के नाम से दर्ज कर दिया गया है। प्रदर्श–1 ही मूल विवाद की विषय वस्तु है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पक्ष के दादा मुखदेव यादव को भी बराबर का हिस्सा होना चाहिये था। जबकि प्रतिवादी चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम पक्ष खतियान में उनके दादा सुखदेव यादव का नाम दर्ज हो गया है उसके आधार पर खाता नं–192 के सम्पूर्ण रकवा पर दावा कर रहे हैं। इस संबंध में सुखदेव यादव के वारिसानों को प्रतिवादी संख्या–11 से 19 बनाया गया है जिन्होंने न तो वादी के कथनों के खण्डन में लिखित कथन दाखिल किया है और न ही वादी साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया है, क्योंकि सुखदेव यादव के वारिसान न्यायालय मं उपस्थित नहीं हुये हैं। इस प्रकार वादी के तर्क एवं विवेचन के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–1 खाता नं–192 के चार खेसरा में वादी के दादा मुखदेव यादव का स्वत्व एवं अधिकार है। सर्वे प्राधिकरण ने सिर्फ सुखदेव के नाम से खतियान बना कर चार खेसरा दर्ज कर दिया है जो बिल्कुल विधि के विरूद्ध और अमान्य है।

इस तरह वादबिन्दु संख्या–VII वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. वाद बिन्दु संख्या–VIII

इस वादबिन्दु के अंतर्गत न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना है कि क्या वादी विवादित भूखण्ड के निश्वत मालगुजारी अदा करने का हकदार है?

चूंकि वादपत्र के अनुसूची–1 वाला भूखण्ड वादी एवं प्रतिवादीगण (प्रतिवादी संख्या–20–21 को छोड़कर) की पैतृक संपत्ति है जो इजमाल अवस्था में अबतक चला आ रहा है हालांकि मौखिक बंटवारा की बात दोनों पक्ष कहते हैं कि वादी के अनुसार मौखिक बंटवारा पर प्रतिवादीगण अमल नहीं कर रहे है। चूंकि वाद बिन्दु संख्या–5 एवं 6 पूर्व में ही निर्णय किया जा चुका है कि वादी की यह खतियानी जमीन है जिसपर उनका स्वत्व एवं अधिकार कायम है, इसिलिये वादी विवादित भूखण्ड में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि का जमांबदी कायम कर मालगुजारी अदा करने का अधिकारी है।

इस तरह वादबिन्दु संख्या–VIII वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

11. वाद बिन्दु संख्या–IX

इस वादबिन्दु के अंतर्गत न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना है कि दिनांक–05.12.2007 तथा दिनांक–30.03.2017 के बिक्रय वसीका अवैध एवं अमान्य है?

न्यायालय : संगीता रानी, अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

उपस्थित : संगीता रानी,
अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

बंटवारा वाद संख्या–23/2017
Reg. No. 4/17 D.O.J- 17.03.2026

दिनांक–05.12.2007 के बिक्रय वसीका जो प्रदर्श–2/ए के रूप में अंकित है जिसमें बिक्रेता शिवजी यादव एवं तेज नारायण यादव ने 9 कट्ठा साढ़े बारह धूर भूखण्ड प्रतिवादी संख्या–20 शम्भू झा को बेचा है। विक्रय वसीका के खाना नं–5 में कहा गय है उसके दादा मुखदेव यादव ने जयगोविन्द ठाकुर से जमीन खरीद किये जिसे बंटवारा द्वारा उनके खास हिस्से में पड़ा। वादी ने बिक्रय वसीका दिनांक–05.12.2007 पर उस समय विरोध नहीं किया परन्तु शिवजी यादव के मरनोपरान्त उसकी पत्नि सोना देवी ने (राखी कुमारी प्रतिवादी संख्या–21) के पक्ष में दिनांक–30.03.2017 को रकवा एक कट्ठा 10 धूर बिक्रय कर दिया, इस बिक्रय वसीका के मजमून के खाना नं–5 में लिखा है कि सोना देवी को आपसी बंटवारा से यह जमीन प्राप्त हुआ था। इस तरह दोनों बिक्रय वसीका में बंटवारा की बात प्रतिवादीगण कहते है। दोनों पक्षों के बीच विवाद का मुख्य कारण यह है कि मुखदेव यादव के एकमात्र पुत्र रामपुकार यादव की दो शादी हुई थी जिसमें पहली पत्नि से वादी भोला यादव एवं प्रतिवादी संख्या–10 कारो देवी का जन्म हुआ तथा दूसरी पत्नि से शिवजी यादव एवं जय नारायण यादव हुये, प्रतिवादी प्रथम एवं द्वितीय पक्ष अपने पिता के जायदाद में से तीन हिस्सा में विभाजित किया है जबकि वादी ने अपनी बहन कारो देवी को भी पक्षकार बनाकर बंटवारा चाहते हैं। वादी की बहन कारो देवी अपने हिस्सा की जायदाद अपने भाई वादी भोला यादव को दे दिया है। इसप्रकार मुखदेव यादव के पुत्र रामकुमार यादव के समस्त सम्पत्ति में आधा हिस्सा वादी को एवं आधा हिस्सा प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को होगा। वादी एवं प्रतिवादी के बीच हुये मौखिक बंटवारा में भिन्नता थी एवं आपस में तालमेल नहीं था जब सोना देवी ने दिनांक–30.03.2017 को जमीन बिक्रय किया तब वादी को बंटवारा का वाद दायर करना पड़ा।

चूंकि दोनों पक्षों में वैद्य तरीके से एवं आपसी रजामंदी से वादपत्र के अनुसूची–1 का विभाजन नहीं हुआ, इसिलिये वादपत्र के अनुसूची 2 एवं 3 वाला बिक्रय वसीका अपने अस्तीत्व में वैद्य रूप से कायम नहीं माना जाएगा। यह बिक्रय वसीका शून्य करणीय है। सर्व प्रथम वादपत्र के अनुसूची–1 में उल्लेखित भूखण्ड का बंटवारा सुखदेव यादव एवं मुखदेव यादव के बीच आधा–आधा अंश में होगा, तत्पश्चात् मुखदेव यादव का प्राप्त अंश में से उनके चार वारिसानों को 1/4 अंश प्राप्त होगा। जिसमें वादी को अपनी बहन के हिस्से वाली भूखण्ड के साथ 1/2 अंश प्राप्त होगा। प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने विभाजन के बिना ही पूर्वजों की संपत्ति को बेच दिया है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को बंटवारा से प्राप्त हिस्से को बेचने का

<u>**न्यायालय : संगीता रानी, अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।**</u>

उपस्थित : संगीता रानी,
अवर न्यायाधीश, प्रथम, बेनीपुर।

<u>**बंटवारा वाद संख्या–23/2017**</u>

Reg. No. 4/17 D.O.J- 17.03.2026

अधिकार है। यदि प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष अपने हिस्से से अधिक जमीन बिक्रय किया है तो दिनांक–05.12.2007 एवं दिनांक–30.03.2017 का बिक्रय वसीका अमान्य एवं अवैध होगा।

इस तरह वादबिन्दु संख्या–IX वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

12. <u>**वाद बिन्दु संख्या–I,II,III,IV,&X**</u> – वाद बिन्दु संख्या–<u>I,II,III,IV, & X</u> के विवेचन के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वादी का वाद पोषणीय है एवं वादी को वाद लाने का वादकारण प्राप्त है। वादी वादपत्र को समय–सीमा के भीतर दायर किया है। वादी ने सभी पक्षकार को पक्षकार बनाया है तथा वादी का यह वाद **वेभर, विबंधन**, **एक्वीसेंस** के सिद्धांत से बाधित नहीं है। वादी ने पर्याप्त न्यायशुल्क दाखिल किया है।

इस तरह वाद बिन्दु संख्या–<u>**I,II,III,IV,& X**</u> निर्णित किया जाता है।

<u>**आदेश**</u>

अतः वादपत्र के अनुसूची–1 वाले भूखण्ड में वादी के दादा मुखदेव यादव एवं उसके भाई सुखदेव यादव के बीच <u>1/2</u> अंश में विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। बंटवारा से प्राप्त मुखदेव यादव को प्राप्त संपत्ति में से <u>1/2</u> अंश वादी का एवं <u>1/4</u> अंश प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं <u>1/4</u> अंश प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का उद्घोषित किया जाता है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को प्राप्त अंश से ज्यादा रकवा होने की स्थिति में बिक्रय वसीका दिनांक–05.12.2007 एवं दिनांक–30.03.2017 रद्द माना जाएगा। सबसे पहले अन्तिम बिक्रय वसीका रद्द माना जायेगा, साथ ही नया सर्वे खतियान खाता नं–192 को निरस्त किया जाता है एवं बिहार सरकार के सिरिस्ता में खाता नं–192 प्रदर्श–1 में वादी के दादा मुखदेव यादव का एक अंश प्रविष्ट करने का आदेश दिया जाता है। इस तरह वादी का वादपत्र बिना खर्चे का **स्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धित

Sangeeta Rani
(संगीता रानी)
अवर न्यायाधीश, प्रथम
बेनीपुर।
दिनांक 17.03.2026

Sangeeta Rani
(संगीता रानी)
अवर न्यायाधीश, प्रथम
बेनीपुर।
दिनांक 17.03.2026